जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

चर्चा में क्यों?

लोकसभा ने हाल ही में **जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 [Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2023] को मंज़ूरी दे दी है** जो **डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र (Digital Birth Certificates)** की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है।

- ये प्रमाणपत्र शैक्षिक प्रवेश से लेकर सरकारी आवेदन तक कई उद्देश्यों के लिये एक व्यापक दस्तावेज़ के रूप में काम करेंगे।

जन्म और मृत्यु (संशोधन) विधेयक, 2023 का पंजीकरण:

- **परिचय:**
  - **जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023** जन्म और मृत्यु पंजीकरण (RBD) अधिनियम, 1969 **में संशोधन** करना चाहता है।
    - **जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969** जन्म और मृत्यु के विनियमन तथा पंजीकरण का प्रावधान करता है। जन्म और मृत्यु का **पंजीकरण समवर्ती सूची** के अंतर्गत आता है, जो **संसद तथा राज्य विधानसभाओं दोनों** को इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र:** यह विधेयक डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र की अवधारणा पेश करता है, जो कई उद्देश्यों के लिये एक व्यापक दस्तावेज़ के रूप में काम करेगा, **जिससे जन्म विवरण सत्यापित करने के लिये कई दस्तावेज़ों की आवश्यकता कम हो जाएगी।**
  - **आधार विवरण: विधेयक में माता-पिता और सूचना देने वालों के** आधार **विवरण को जन्म प्रमाण पत्र से जोड़ने का प्रस्ताव है।**
    - आधार समावेशन का दायरा **चिकित्सा अधिकारियों, जेलरों और संस्थानों के प्रबंधकों सहित विभिन्न रिपोर्टिंग प्राधिकरणों** तक विस्तारित है।
  - **केंद्रीकृत डेटाबेस: जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड को प्रबंधित** करने, कुशल सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करने तथा सटीक एवं अद्यतन जानकारी बनाए रखने के लिये एक केंद्रीकृत डेटाबेस स्थापित किया जाएगा।
    - जन्म प्रमाण पत्र के अलावा केंद्रीकृत डेटाबेस राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR), **राशन कार्ड और संपत्ति पंजीकरण** को भी अपडेट करेगा।
    - विधेयक में **राज्यों के लिये केंद्र के नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) पोर्टल पर जन्म और मृत्यु को पंजीकृत करना** तथा डेटा को **भारत के महापंजीयक, (Registrar General of India)** जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है, के साथ साझा कर अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है।
- **लाभ:**
  - केंद्रीकृत डेटाबेस से सूचना का एक विश्वसनीय और एकीकृत स्रोत प्रदान करने से **प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि** की उम्मीद है।
  - **एकल डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग नागरिकों के लिये शैक्षिक प्रवेश, सरकारी नौकरियाँ, पासपोर्ट आदि जैसी विभिन्न सेवाओं तक सुव्यवस्थित पहुँच सुनिश्चित करेगा।**
  - यह विधेयक भारत द्वारा डिजिटल परिवर्तन हेतु किये जाने वाले प्रयासों के अनुरूप है, जो बेहतर नागरिक सेवाओं के लिये प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **चिंताएँ:**
  - **जन्म प्रमाण पत्र के अभाव के आधार पर** बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश न देना, **शिक्षा के मौलिक अधिकार** का उल्लंघन होगा।
    - इस विधेयक ने नागरिकों की **निजता के अधिकार** की सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता के लिये लाभ प्रदान करने वाली प्रौद्योगिकी के मध्य संतुलन को लेकर विवाद उत्पन्न कर दिया है।
    - विधेयक के प्रावधान संभावित रूप से **शिक्षा के अधिकार** **और** **निजता के अधिकार** जैसे **संवैधानिक अधिकारों** के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं।
  - इस विधेयक को पारदर्शिता के आधार पर विरोध का सामना करना पड़ा है, जबकि आलोचकों ने **डेटा संग्रह और उसके उपयोग के लिये सरकार के दृष्टिकोण** पर भी सवाल उठाया है।
  - आलोचकों का यह भी तर्क है कि डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र अनजाने में **उन व्यक्तियों को** बाहर कर सकता है **जिनकी डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुँच नहीं है,** जिसके कारण सेवाओं तक पहुँच में असमानता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।
  - ऐसी आशंका है कि यह विधेयक **किशोर न्याय अधिनियम, 2015** **एवं अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप न हो।**

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/registration-of-births-and-deaths-amendment-bill,-2023